CATS
Conservation Assured | Tiger Standards
APPROVED

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष / फैक्सनं0—05947—251362

पत्रांकः— 843 / 12-1 दिनांक, रामनगर 05 / 10.2021

सेवा में,

मण्डलीय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड परिवाहन निगम,
कुमॉऊ मण्डल, काठगोदाम,

विषयः— **रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना / विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड परिवाहन निगम को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः— **आपका पत्रांक 3805 / के0आर0 / 4—भूमि भवन / रामनगर बस स्टे0 / 21 दिनांक 24.09.2021 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। विवरण निम्नानुसार है—

1. विषय सूची S.O.P के अनुसार प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. विषय सूची के आधार पर प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों को क्रमबद्ध करें।
3. भाग—4 प्रपत्र सं0— 2.4 एवं भाग—5 प्रपत्र सं0— 2.5 प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र सं0—5 प्रस्ताव में संलग्न करें।
5. वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण एवं मूल्यॉकन / सारांश / वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्ष प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. बॉज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. निर्माण कार्यों का ले—आउट प्लान प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. परियोजना के निर्माण हेतु भू—वैज्ञानिक की आख्या प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. लाभान्वित होने वाले ग्रामों / जनसंख्या / परिवारों के विवरण का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
11. रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु सप्तवर्षीय योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें।
12. काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्ष लगाये जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें।
13. मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें।
14. प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः प्रस्ताव (04 प्रतियॉं) मूल में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा हैं कि आप समस्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर